UPPG010040082026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट, प्रतापगढ़।

पीठासीन – हेमन्त कुमार, एच०जे०एस०– UP–6449

फौजदारी प्रकीर्ण संख्या– 293/2026

अंशिका बनाम अंशुल आदि।

थाना मांधाता, जनपद–प्रतापगढ़।

01.07.2026

पत्रावली पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 175(3) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पर सुना गया।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र 175(3) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में कथन किया गया है कि यह कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति (बहेलिया) एससी० हरिजन वर्ग की कम पढ़ी लिखी गरीब महिला है। माह मार्च सन 2025 ई 0 में प्रार्थिनी के पति रायबरेली जेल में बंद थे उस समय मैं प्रार्थिनी ग्राम दुबहन थाना सलवन जनपद रायबरेली में अपने वृद्ध सास के साथ रहती थी। माह मई 2025 ई 0 में पति की जमानत हेतु मैंने अराधना एडवोकेट रायबरेली को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया, जो अपने सहायक अंशुल बाजपेयी उर्फ आशीर्वाद अभियुक्त नं0 1 उपरोक्त को मुकदमें की पैरवी में मेरे साथ भेजती थी। घटना माह जून सन 2025 ई 0 प्रथम सप्ताह में अभियुक्त नं० 1 ने मुझसे कहा कि तुम इस समय आर्थिक रूप से परेशान हो लालगंज अझारा में मेरे मित्र की दुकान है जिन्हें एक आदमी की जरूरत है। दस हजार रू० मासिक देंगे, चाहो तो काम दिला दें। मैं बेसहारा आर्थिक रूप से पीड़ित थी काम करने के लिए तैयार हो गयीं। अभियुक्त नं0 1 ने मुझे लालगंज में काम दिलाने हेतु चलने के लिए जून 2025 ई० प्रथम सप्ताह में मुझे सलवन बुलाया मैं गयी तो मुझे मोटर साइकिल पर बैठाकर ले जाने लगे रानीगंज कैथोला पहुँचे तो गाड़ी रोक दिये, बोले मेरा मोबाइल घर पर छूट गया है, आज लालगंज नहीं चलेंगे, यहां आ गये हैं तो बाबा घुइसरनाथ का दर्शन कर लें. मैंने मना किया परन्तु ये गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दिये जो रास्ता मेरे लिए अंजान था। अभियुक्त नं0 1 ने मुझ प्रार्थिनी को अंजान जंगली रास्ते से कुछ दूर ले जाकर एकान्त सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दिया बोले की मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाओ कहते हुए मेरे साथ अश्लील शारीरिक हरकत करने लगे, मैंने रोका तो क्रोधित होकर जाति सूचक शब्दों में चमाड़िन साली इत्यादि माँ बहन बेटी की गाली देते हुए मेरे मुँह पर तमाचे से मारे, मैंने अपने बचाव में विरोध किया तो मेरा हाथ मरोड़ दिये मेरी चूड़ी टूटकर कलाई में खरोच गयी, जिससे खून निकलने लगा। मैं दर्द से चिल्लाने चीखने लगी, इन्होनें जबरस्ती मेरा मुँह दबा दिया बलपूर्वक निर्वस्त्र करके कई बार शारीरिक दुष्कर्म किया। समय लगभग 1 बजे दिन का था, लगभग डेढ़ दो घण्टे मेरे साथ दुष्कर्म करते रहे, जिसके बाद बोले कि यदि कहीं शिकायत करोगी तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। तेरे पति उस चमार साले को कभी नही छूटने देंगे। मैं डरवश कुछ न कर सकी। इसके बाद इन्होंने मुझे सलवन लाकर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद में प्रार्थिनी मुकदमें की पैरवी करने जनपद न्यायालय रायबरेली गयी डर भयवश मैंने इस घटना की कहीं शिकायत नही किया, अभियुक्त नं0 1 ने कागज पर दस्तखत करने की बात कहकर मुझे मेजरगंज ले गये, झूठ बोले यहां इनकी दुकान थी, छल–कपटपूर्ण बहाना बनाकर मुझे अन्दर ले जाकर दो घण्टे तक जबरजस्ती कई बार मेरे साथ दुष्कर्म किये एवं मोबाइल पर वीडियो भी बनाये। मैंने विरोध किया तो क्रोधित व आक्रामक होकर कहे चमारिन साली एक बार जो हो चुका है उसमें फिर क्यों विरोध कर रही हो? यदि कहीं शिकायत की तो जान से मरवा देंगे। मैं डरवश सहम गयी, सोची

Digitally signed by HEMANT KUMAR
Date: 2026.07.08 15:05:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बड़ी जाति के लोग हैं मैं छोटी जाति की गरीब बेसहारा महिला हैं। मजबूर होकर घर वापस चली आयी। अभियुक्त नं0 1 ने इसके बाद मुझ प्रार्थिनी से मुकदमें की पैरवी के लिए पचास हजार रू० मांगा, बोले ऊपर देना पड़ेगा गहना बेचकर मैंने दो बार में पचीस हजार रू० व पन्द्रह हजार रू० इनको दिया। कुछ दिन बाद अभियुक्त नं० 1 मेरे विपक्षी अभियुक्त नं0 2 से मिली भगत करके मुझसे कहे कि मुकदमें में सुलह करा देंगे, पांच लाख रूपये की व्यवस्था कर लो। मैं अपनी मजबूरी बतायी तो ये अभियुक्त नं० 2 को मेरे पास लाये बोले पैसा नही दे सकती हो तो इनसे भी सम्बन्ध बनाना पड़ेगा नही तो मुकदमें में सजा करवा देंगे। ऐसा कहकर दोनो जबरजस्ती मेरे साथ मेजरगंज अपनी दुकान के अन्दर ले जा करके कई बार शारीरिक दुष्कर्म करते रहे, मैं मजबूरीवश व डरवश कहीं शिकायत न कर सकी, यह सिलसिला माह अक्टूबर सन 2025 ई0 तक चलता रहा। माह नवम्बर में मुझ प्रार्थिनी के पति की जमानत हुयी वे जेल से बाहर आये तो मैंने उनसे सारी बात बतायी, लेकिन घर में आर्थिक तंगी होने के कारण हम दोनों मजबूर थे, कुछ कर न सके। अंभियुक्त नं० 1 बार बार फोन पर शारीरिक सम्बन्ध बनाने हेतु धमकी देकर बुलाते हैं कहते हैं नही आओगी तो तुम्हारे पति की जमानत रद्द करवाकर पुनः जेल भेजवा देंगे आजीवन सजा करा देंगे। मैं मजबूर हो गयी हूँ। प्रार्थिनी इस सम्बन्ध में 1 अप्रैल सन् 2026 ई0 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ को प्रार्थनापत्र दिया, रजिस्ट्री भी किया पुनः 23 अप्रैल 2026 को प्रार्थनापत्र दिया व रजिस्ट्री दोबारा किया। घटनास्थल रानीगंज कैथोला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में भी प्रार्थनापत्र दिया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही की गयी। मैं अत्यन्त संकट में हूँ, यह प्रार्थनापत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रार्थनापत्र की रजिस्ट्री रसीद संलग्न प्रार्थनापत्र है व फोन रिकार्डिंग भी मेरे मोबाइल में है। अतः अभियुक्त नं0 1 ता 2 के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रार्थिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मुकदमा पंजीकृत करने की आज्ञा प्रदान करने की याचना की गयी है।

पत्रावली पर थाने की आख्या कागज सं0 9 ख उपलब्ध है, जिसके अनुसार आवेदिका अंशिका सिंह उपरोक्त के पति चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व० लालजी सिंह निवासी आवासीय वर्तमान पता–मातामेडुली, सलोन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, आवासीय स्थायी पता–सुमेरपुर, मांधाता, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश पर विपक्षी संख्या 2. सुरेश जायसवाल उपरोक्त की नाबालिक पुत्री द्वारा थाना सलोन जनपद रायबरेली में मु0 अ 0 सं0 118/2025 123, 351(3), 352, 64(1) बीएनएस व धारा 3.4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, 2012 के तहत पंजीकृत कराया गया था । एफआईआर की प्रति संलग्न की जा रही है। आवेदिका का कथन है कि उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 अंशुल बाजपेयी उर्फ आशीर्वाद जो कि आवेदिका के अधिवक्ता आराधना का सहायक है। व विपक्षी संख्या 02 सुरेश जायसवाल जो कि मु०अ०स० 118/2025 123, 351(3), 352, 64(1) बीएनएस व धारा 3,4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, 2012 थाना सलोन जनपद रायबरेली की नाबालिक पीडिता का पिता है। दोनों ने मिलकर कर आवेदिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने और प्रताड़ित करने के आरोप अंकित किये गये हैं। उक्त तथ्यों को दृष्टि रखते हुए आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मु०अ०स० 118/2025 123, 351(3), 352, 64(1) बीएनएस व धारा 3,4 पास्को एक्ट थाना सलोन जनपद रायबरेली की पीड़िता के पिता व अधिवक्ता पर आरोप लगा कर दबाब बनाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत हो रहा है। उक्त प्रकरण के संबंध में कोई भी अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत नहीं है।

सुना और पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदिका की ओर से कॉल डिटेल्स, ऑडियों पेनड्राइव दाखिल है, जिससे प्रथम दृष्टया मामले में संज्ञेय अपराध बनता है। घटना की वास्तविकता है। मामला विवेचना कराये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष मान्धाता को आदेश की प्रति के साथ पेनड्राइव और सी0 डी0 आर 0 की प्रति बतौर सबूत के तौर पर प्रेषित हो। व सम्बन्धित थाने को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत मामले में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराना सुनिश्चित करे। अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः 01.07.2026

(हेमन्त कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट,
प्रतापगढ़।

Stenographer–Mahendra Kumar